मध्यांचल ग्रामीण बैंक कार्मिकों को पेंशन

मध्यांचल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 2018 तथा मध्यांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम 2018

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र क्रमांक NB.IDD/344/316(Pension)/2018-19 दिनांक 23 अक्टूबर 2018 द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्मिकों को पेंशन विषय पर प्रेषित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पेंशन विनियम 2018, मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पेंशन योजना 2018 तथा मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेवा (संशोधन) विनियम 2018 को यथा निर्देशानुसार पूर्ण कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 30(1) के अन्तर्गत बैंक के निदेशक मण्डल के अनुमोदन उपरांत मध्यांचल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 2018 एवं मध्यांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 को भारत सरकार के असाधारण राजपत्र (Extra Ordinary Gazette) में दिनांक 17 दिसम्बर 2018 को प्रकाशित किया गया है। उक्त विनियम भारत सरकार के गजट में प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से प्रभावी हो गये हैं।

सन्दर्भित गजट नोटिफिकेशन अर्थात् मध्यांचल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 2018 एवं मध्यांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियाँ अनुलग्नक–1 में संलग्न है।

मध्यांचल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 2018 के अध्याय–II में पेंशन की पात्रता तथा तदनुसार क्रियान्वयन अंतर्गत बैंक में सेवारत, सेवानिवृत तथा मृतक कार्मिकों के कुटुम्ब को सेवा योगदान एवं सेवानिवृति/मृत्यु तिथि के आधार पर अलग–अलग प्रारूप पर अपना विकल्प पत्र अधिसूचित दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 120 दिनों के अन्दर अर्थात् 15 अप्रैल 2019 तक प्रस्तुत करना होगा तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अन्तर्गत बैंक द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान की राशि, संलग्न पेंशन विनियम 2018 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अगले 60 दिनों के अन्दर, अर्थात् 14 जून 2019 तक वापिस करना होगा। इस हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले विकल्पों की प्रतियाँ अनुलग्नक–2 पर संलग्न हैं। कृपया ध्यान देवें कि पेंशन विनियम 2018 में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विकल्प पत्र प्रस्तुत न करने तथा बैंक अंशदान की राशि नये पेंशन फंड में वापस/जमा न करने वाले कार्मिकों/सेवानिवृत कार्मिकों/मृतक कार्मिकों के कुटुम्ब को पेंशन विनियम 2018 के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा एवं वे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य बने रहेंगे।

कार्मिकों के सन्दर्भ हेतु विकल्प पत्रों का प्रारूप (1) से (13) अनुलग्नक–2 पर संलग्न है।

1. **Format - 1** – कार्मिक जो दिनांक 01.09.1987 को या उसके बाद सेवा में थे (सेवा प्रारंभ तिथि 31.03.2010 या उसके पूर्व) तथा अधिसूचित दिनांक 17 दिसम्बर 2018 या उसके बाद भी सेवारत है।
2. **Format - 1A** – कार्मिक जो दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2018 के मध्य सेवा प्रारंभ किये हैं तथा दिनांक 17 दिसम्बर 2018 या उसके बाद भी सेवारत हैं।
3. **Format - 2** – कार्मिक जो दिनांक 01.09.1987 को या उसके बाद सेवा में थे (सेवा प्रारंभ तिथि 31.03.2010 या उसके पूर्व) तथा अधिसूचित दिनांक 17 दिसम्बर 2018 के पूर्व सेवानिवृत हो गये हैं।
4. **Format - 3** – कार्मिक जो दिनांक 01.09.1987 को या उसके बाद सेवा में थे (सेवा प्रारंभ तिथि 31.03.2010 या उसके पूर्व) तथा अधिसूचित दिनांक 17 दिसम्बर 2018 के पूर्व दिवंगत हो गये हैं, के कुटुम्ब द्वारा दिया जाना है।

समस्त बैंक कार्मिकों से अपेक्षा है कि परिपत्र की विषयवस्तु से अवगत होते हुए निर्धारित समयावधि में विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही संलग्न प्रारूप, जो उनसे सम्बद्ध हो, भी भर कर भेजें।

विकल्प पत्र तथा संलग्न प्रारूप पूर्ण रूप से भरकर प्रभारी, पेंशन प्रकोष्ठ, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय सागर को प्रेषित किया जावे।